>

Title: Need to set up a Tribal University in Telangana.

श्रीमती कविता मलोथू (महबूबाबाद): आदरणीय सभापति महोदय, आपके जरिए मैं केन्द्र सरकार से तेलंगाना में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात को याद दिलाना चाहती हूं । आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 तेलंगाना राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना को अनिवार्य करता है । केन्द्र सरकार ने तेलंगाना राज्य स्थापना अधिनियम के हिस्से के रूप में एक नई ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मंजूरी भी दे दी है, जो कि पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है । केन्द्र ने वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में प्रारंभिक उपायों के रूप में दस करोड़ रुपये एलॉट किए हैं और केन्द्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया है, जिसमें एम.एच.आर.डी. के ज्वायंट सेक्रेटरी, यूजीसी के सेक्रेटरी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, चीफ सेक्रेटरी, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर, सीपीडब्ल्यूडी शामिल थे । तेलंगाना संस्कृति में आदिवासी पृष्ठभूमि उच्च है । इसलिए सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना को प्राथमिकता दी । मुलुगू जिले में इसके लिए स्थल की पहचान की गई है । प्रस्तावित साइट 335 एकड़ की कुल सीमा के साथ जाकारम और मुलुगू गांव में स्थित है । इसके साथ ही, सचिव, उच्च शिक्षा, भारत सरकार ने 31 दिसम्बर, 2018 के प्रस्तावित साइट का दौरा किया है और शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए एक समय रेखा का सुझाव दिया है । क्षेत्र स्थल पर विश्वविद्यालय स्थापना की परियोजना की व्यापक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार को सौंप दी । तदनुसार, तेलंगाना सरकार ने प्रस्तावित साइट में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु जमीन के लिए 15 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है । तेलंगाना सरकार को अगस्त, 2019 तक निर्दिष्ट भूमि सौंपने का अनुरोध किया गया है और तीन करोड़ रुपये को तत्काल निर्गत करने को कहा गया है, जो अभी तक एम.एच.आर.डी., भारत सरकार द्वारा एलॉट नहीं किए गए हैं । इस बीच, मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2021 के बजट का टोकन प्रदान

किया गया है ।...(व्यवधान) मेरी मांग है कि तेलंगाना में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिए । शून्य काल में इतना बड़ा भाषण नहीं हो सकता है ।

श्री सुनील सोरेन ।